

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 70/18

जितेंद्र पुत्र रामप्रकाश जाटव निवासी ग्राम खेरिया
तोर, तहसील मेंहगांव जिला भिण्ड म0प्र0

---आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना मौ

---अनावेदक

01-03-2018

आवेदक/आरोपी जितेंद्र की ओर से श्री जी0एस0 गुर्जर अधिवक्ता
उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक
उपस्थित।

पुलिस थाना मौ से अपराध क्रमांक 41/18 अंतर्गत धारा 379
भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त जितेंद्र की ओर से अधिवक्ता
श्री जी0एस0 गुर्जर द्वारा जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय के समक्ष जमानत
आवेदन धारा 437 दं0प्र0सं0 का निरस्त हो जाने के पश्चात् प्रथम नियमित
जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया
है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी
समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और
न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधि. श्री जी0एस0 गुर्जर द्वारा प्रथम जमानत
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया कि
आवेदक के खिलाफ झूठा चोरी का मामला कायम कर लिया गया है,
जबकि आवेदक द्वारा किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की गई है। वह
निर्दोष है तथा झूठा फंसाया गया है। आवेदक दिनांक 19.02.2018 से
न्यायिक अभिरक्षा में है। उसके फरार होने तथा साक्ष्य को प्रभावित किये
जाने की आशंका नहीं है। आवेदक मजदूर पेशा है यदि उसे अधिक समय
तक जेल में रखा गया तो उसके परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या
पैदा हो जायेगी। प्रकरण के निराकरण में काफी समय लगने की संभावना
है। आवेदक नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तथा
अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर
उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र
का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण
केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन

अनुसार दिनांक 18.02.2018 को दौरान वाहन चैकिंग डम्पर क्रमांक एम0पी0 07 एच.बी. 5007 चैक करने पर चालक अर्थात् आरोपी पर रायल्टी नहीं मिली, जो खनिज चोरी करके आ रहा था।

उक्त अपराध पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना मौ में अपराध क्रमांक 41/18 अंतर्गत धारा 379 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो अधिकतम तीन वर्ष तक की सजा से दण्डनीय होकर जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 19.02.18 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है और प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा आवेदक/अभियुक्त मजदूर के रूप में अपने परिवार का एकमात्र कर्ताधर्ता होना बताया गया है। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी संलग्न नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से निम्न शर्तों सहित 30,000/- रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य पेश होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

1. प्रत्येक पेशी पर नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा।

2. अभियोजन साक्षियों को प्रभावित/प्रलोभित नहीं करेगा।

3. अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापस भेजी जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस0के0गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड